

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री महेश टाना भगत पिता महादेव टाना भगत निवासी ग्राम: ठेठाँगी एवं सिदालु, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: ठेठाँगी (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 61 रकबा 0.95 एकड़ और ग्राम: सिदालु, थाना सं: 84 (वन पट्टा) खाता सं. 16 के अधीन प्लॉट सं. 2 (भाग), रकबा 1.05 एकड़ कुलरकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम ठेठाँगी, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम केतहत ग्राम: ठेठाँगी एवं सिदालु, (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 61 रकबा 0.95 एकड़ और ग्राम: सिदालु, थाना सं: 84 (वन पट्टा) खाता सं. 16 के अधीन प्लॉट सं. 2 (भाग), रकबा 1.05 एकड़ कुलरकबा - 2.00 एकड़ भूमि केतहत श्री महेश टाना भगत पिता महादेव टाना भगत निवासी ग्राम: ठेठाँगी एवं सिदालु, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

GMM
6/7/19
RMM